4051/PSP/15
130/35-[illegible]/18

उत्तर प्रदेश शासन
विकलांग जन विकास अनुभाग–2
संख्या–38/65–2–2015–72 (विविध)/2014
लखनऊ दिनांकः 14 जनवरी, 2015

निजी सचिव,
प्रमुख सचिव नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

आधार कार्ड योजना के लाभार्थियों के डिजिटाइजेशन के संबंध में प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग के पत्र संख्या–199/प्र0सा0नि0/2014 दिनांक 20.11.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में निदेशक, विकलांग जन विकास उ0प्र0 के पत्र संख्या –3963/वि0ज0वि0/यो0/2014–15 दिनांक 01 जनवरी, 2015 द्वारा प्राप्त सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोक्त।

(राधे कृष्ण)
अनु सचिव।

वि0स0 (A)

14/01-2015
(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग
उ0 प्र0 शासन
013/USC(A)/15

अ0 नि0
भू0 उ0 प0

15-01-2015
(अबरार अहमद)
विशेष सचिव
नियोजन विभाग
उ0 प्र0 शासन।

RA(B)

15/1/15

अपर निदेशक निदेशक,
प्रकरण [illegible] नियोजन प्रभाग
जनशक्ति नियोजन प्रभाग
से सम्बन्धित प्रतीत होता है।
कृपया निदेशक, ज0नि0 को
भेजना चाहें।
15/1/2015

15/1
(मृदुला सिंह)
अपर निदेशक
भूमि उपयोग परिषद
नियोजन विभाग
उ0 प्र0 शासन

ROCRD
15/1/15

15/1/15

प्रेषक,

निदेशक,
विकलांग जन विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

सचिव,
विकलांग जन विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

पत्रांकः–3967 / वि0ज0वि0 / यो0 / 2014–15 : लखनऊ : दिनांक– दिसम्बर,2014

विषयः– विकलांगजन के आधार कार्ड बनाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन ने अपने पत्र संख्या– 199 / प्र0 स0नि0 / 2014, दिनांक– 20.11.2014 के साथ सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या– 10231 / एम0एस0 / जी0 आई0 / 2014, दिनांक– 13.11. 2014 की प्रति संलग्न कर विकलांग पेंशन प्राप्त कर रहें लाभार्थियों जिनके पास पूर्व से आधार कार्ड है उक्त आधार कार्डों की संख्या विवरण दिनांक– 15.03.2015 तक उपलब्ध हो जाने एवं मार्च,2015 तक अवशेष लाभार्थियों के आधार कार्ड का नामांकन कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये। आधार कार्ड योजना के कियान्वयन के लिए मण्डलायुक्त को रजिस्ट्रार व जिलाधिकारी को संयुक्त रजिट्रार घोषित किया गया है।

उपरोक्त के अनुकम में निदेशालय के पत्र संख्या– 3494, दिनांक–04.12.2014 द्वारा समस्त जिला विकलांग जन विकास अधिकारियों को आधार कार्ड बनाये जाने हेतु निदेश प्रदान किये गये।

शासन स्तर पर दिनांक– 24.12.2014 को आहूत समीक्षा बैठक में कतिपय जिला विकलांग जन विकास अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि नेत्रहीन तथा हाथों से विकलांग, व्यक्तियों एवं लेप्रोसी क्योर विकलांगजन के आधार कार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड बनाने के लिए आंखों के रेटिना तथा हाथों के फिंगर प्रिंटस को स्कैन किये जाने की आवश्यकता होती है जिसके पश्चात् ही आधार कार्ड बनाये जाते हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शासन स्तर से सम्बन्धित विभाग को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त करना चाहें, ताकि विकलांगजन के आधार कार्ड बनने में आ रही कठिनाईयों का निराकरण हो सकें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
निदेशक।

(अनिल कुमार सागर)
सचिव
विकलांग जन विकास

(डा० सुनील कुमार)
उप सचिव
विकलांग जन विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(राधे कृष्ण)
अनुसचिव
विकलांग जन विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 470/रा०नि०प्र०/2014
दिनांक 22/01/2015

भारत सरकार
योजना आयोग
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ

Government of India
Planning Commission
Unique Identification Authority of India
Regional Office Lucknow

संख्या. A-11016/02/2013-IEC/UIDAI/LKO /8538 (हिंदी)

दिनांक:20.01.2015

सेवा में,

निदेशक,
जनशक्ति नियोजन प्रभाग,
राज्य नियोजन संसथान, उ.प्र.,
योजना भवन, लखनऊ. – 226001

विषय: विकलांग जन के आधार कार्ड बनाने के सन्दर्भ में ।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक अपने पत्रांक 84 कैम्प/ज.नि.प्र. (डी.बी.टी.)/2015 दिनांक 16 जनवरी 2015 का सन्दर्भ लेना चाहें, जिसके माध्यम से विकलांग जनों के आधार कार्ड बनने में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु दिशा-निर्देश जारी करने की अपेक्षा की गई है। उक्त के सम्बन्ध में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी प्रोटोकॉल्स तथा दिशा निर्देशों के अनुरूप समस्त नॉन-स्टेट रजिस्ट्रार तथा एनरोलमेंट एजेन्सियों को विकलांग जनों के आधार नामांकन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्ण निर्देश जारी कर दिए गए हैं (प्रतिलिपि संलग्न)। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी प्रोटोकॉल्स प्राधिकरण की वेबसाइट http://uidai.gov.in पर सार्वजानिक तौर पर उपलब्ध हैं। शेष आपके पत्र के सापेक्ष समस्त नॉन-स्टेट रजिस्ट्रार को समस्त एनरोलमेंट एजेन्सियों को प्रतिलिपि के साथ निर्देश इस आशय से जारी कर दिए गए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत विभिन्न एनरोलमेंट एजेन्सियों को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करें कि कोई भी निवासी विकलांगता यथा लेप्रोसी अथवा अन्य कारणों से आधार नामांकन से वंचित न रह जाये। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों के बावजूद यदि किसी विशेष एनरोलमेंट सेन्टर पर ऑपरेटर द्वारा एनरोलमेंट करने से मना किया जाता है तो इस कार्यालय के संज्ञान में अवश्य लायें, जिससे समस्या का समाधान शीघ्र करा दिया जाये ।

SD
22/1/15

CRP.
22.1.15

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय

20-1-15
(चंद्रशेखर मिश्र)
सहायक महा निदेशक

Sl.No.	Particulars	Remarks	Action to be taken.
1	Full Biometric Exception	Full Biometric exception enrolment restricted in enrolment client.	No action.
2.	Partial Biometric Exception	**a.** One or both eyes are missing (Eye/s are not openable)	**a.** In this case operator may advise to mark missing eye/s as exception in enrolment client and capture only finger prints.
		b. 10 fingers are missing	**b.** In this case operator may advise to mark finger as exception in enrolment client and capture only both eyes.
		c. One or both eyes and some fingers are missing (ex.- Six finger Missing)	**c.** In this case operator may advise to mark missing eye/s and missing six finger as exception in enrolment client and capture only rest finger.